



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 10 सितम्बर, 2021

भाद्रपद 19, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-4

संख्या एच०एस०-27/52-4-2021-13(एच०)-2017

लखनऊ, 10 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

प०आ०-292

द हज कमेटी ऐक्ट, 2002 (ऐक्ट संख्या 35 सन् 2002) की धारा 18 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, पूर्वोक्त ऐक्ट की धारा 17 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के नाम से स्थापित उत्तर प्रदेश हज समिति में निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करती हैं :-

- 1-श्री मोहसिन रजा, मा० सदस्य विधान परिषद्, लखनऊ;
- 2-श्री असलम राईनी, मा० सदस्य विधान सभा, लखनऊ;
- 3-श्री शौकत अली, पार्षद मेरठ;
- 4-श्री फैसल अली खॉ, पार्षद, लखनऊ;
- 5-श्री मौलाना हाफिज मो० जावेद, झॉंसी, समाज सेवी;
- 6-श्री मौलाना वकार हैदर, आजमगढ़, शिया धर्मगुरु;
- 7-श्री सरफराज अली, नोएडा, समाजसेवी;
- 8-श्री मो० इफतखार हुसैन, गोरखपुर, समाजसेवी;
- 9-डा० सैयद इहतेसाम उल हुदा, बरेली, समाजसेवी;
- 10-श्री सरवर सिद्दीकी, भदोही, समाजसेवी;
- 11-श्री अमानुल्लाह, मिर्जापुर, मुस्लिम विधि विशेषज्ञ;
- 12-श्री हाजी अब्दुल रहीम, वाराणसी, समाजसेवी;
- 13-श्री वसीम अहमद, प्रयागराज, समाजसेवी;
- 14-श्री सै० कल्बे हुसैन (कब्बन नवाब), लखनऊ, समाजसेवी;

2-नामनिर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 03 वर्ष के लिये होगा।

आज्ञा से,  
कै० रविन्द्र नायक,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. H.S.-27/LII-4-2021-13(H)-2017, dated September 10, 2021 :

No. H.S.-27/LII-4-2021-13(H)-2017

*Dated Lucknow, September 10, 2021*

IN exercise of the powers under section 18 of the Haj Committee Act, 2002 (Act no. 35 of 2002), the Governor is pleased to nominate the following persons as members of the Uttar Pradesh Haj Committee established under section 17 of the aforesaid Act, by the name of the Uttar Pradesh State Haj Committee :-

1. Shri Mohsin Raza, Member of Legislative Council, Lucknow;
2. Shri Aslam Raini, Member of Legislative Assembly Lucknow;
3. Shri Shaukat Ali, Councillor, Meerut;
4. Shri Faisal Ali Khan, Councillor, Lucknow;
5. Shri Maulana Hafiz Mohd. Javed, Jhansi, Social Worker;
6. Shri Maulana Waqar Haider, Azamgarh, Shia Theologist;
7. Shri Sarfaraz Ali, Noida, Social Worker;
8. Shri Iftakhar Hussain, Gorakhpur, Social Worker;
9. Dr. Syed Ihtesam Ul Huda, Bareilly, Social Worker;
10. Shri Sarwar Siddiqui, Bhadohi, Social Worker;
11. Shri Amanullah, Mirzapur, Expertise in Muslim Law;
12. Shri Haji Abdul Rahim, Varanasi, Social Worker.
13. Shri Wasim Ahmed, Prayagraj, Social Worker;
14. Shri Sai. Kalbe Hussain (Kabban Navab), Lucknow, Social Worker.

2. The tenure of nominated Members shall be three years with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*.

By order,  
K. RAVINDER NAIK,  
*Pramukh Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 299 राजपत्र-2021-(642)-599 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ-2021-(643)-300 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।